नीलामी सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात के आदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायाधीश के कैम्प कार्यालय /आवासीय परिसर में स्थित 120 पेड फलदार अमरूद के नीलामी हेतु प्रकिया वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु दिनांक–28.03.18 को समय 04.00 बजें दीवानी न्यायालय कानपुर देहात के केन्द्रीय नजारत के समक्ष की जायेगी, नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति नीलामी प्रकिया में खुली बोली में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भाग ले सकते है।

नीलामी की शर्ते व नियम

1. उपरोक्त 120 पेड फलदार अमरूद की बोली में सम्मिलित होने से पहले धरोहर धनराशि में रू0–10,000/– नजारत अनुभाग में कैशियर के पास जमा करनी होगी।
2. प्रकिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को कभी किसी न्यायालय ने दण्डित न किया हो।
3. स्वीकृति के उपरान्त भागीदार जिसकी बोली नीलामी हेतु स्वीकृत होगी के द्वारा स्वीकृत अनुबन्ध की सम्पूर्ण धनराशि 1/4 धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी, तथा शेष धनराशि दो दिन के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा।
4. स्वीकृति के उपरान्त भागीदार जिसकी बोली स्वीकृत होगी, के द्वारा स्वीकृत नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि उपरोक्तानुसार जमा नहीं करने पर उसकी जमानत राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः जब्त समझी जायेगी।
5. नीलामी की अन्तिम स्वीकृति जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात महोदय द्वारा की जायेगी।
6. नीलामी बिना कोई कारण बताये सीगित या अस्वीकृत भी की जा सकती है।
7. उपरोक्त 120 पेड फलदार अमरूद के उपयोग की अवधि दिनांक–31.03.19 को स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उसके बाद तुरन्त सम्बन्धित अध्यासी द्वारा पेड अमरूद का अध्यासन केन्द्रीय नाजिर, दीवानी न्यायालय कानपुर देहात को हस्तगत किया जायेगा।

सूचना आज दिनांक–13.03.18 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

दिनांक–13.03.18

13.3.18

(बाबू प्रसाद)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला जज कोर्ट नं0–5,
कानपुर देहात।